न्यायालय जिला कलक्टर सलूम्बर, जिला सलूम्बर (राज.)

पीठासीन अधिकारीः जसमीत सिंह संधू आई.ए.एस

प्रकरण संख्या 10/2023 जी.सी.एम.एसः 2023/1

उनवान

जरिये प्रार्थी राहुल राज जादौन जिला रसद अधिकारी सलूम्बर।

.........प्रार्थी

बनाम

1 नेघराज मीणा पिता श्री देवी लाल मीणा निवासी–पीपली बी ऋषभदेव, उदयपुर,

2 श्री नेरु निवासी कनकपुरा,

3 श्री कमलेश दास वैष्णव पिता श्री रतनदास वैष्णव निवासी गींगला,

4 श्री केतन अजीत सिंह दादरा अने नगर हवेली,

5 श्री संजय जैन निवासी मेनारियो का मोहल्ला कानपुर तहसील गिर्वा जिला उदयपुर।

......अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6–ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955

आदेश

दिनांक–19.06.2024

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि जरिये सरकार प्रार्थी श्री राहुलराज जादौन जिला रसद अधिकारी सलूम्बर द्वारा एक प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि थाना अधिकारी पुलिस थाना परसाद की लिखित तहरीर क्रमांक 7455 दिनांक 06.10.2023 से प्राप्त सुचना पर सुरा सामल पीपली बी.एन.एच. 48 पक्के मकान पर पहुचें मुताबिक तहरीर दिनांक 06.10.2023 को डी.एस.टी टीम सलूम्बर और थानाधिकारी परसाद उक्त परिसर में पहुंचे जहां उन्हे वाहन क्रमांक DN09S9321 टेंकर जिस पर रिलायंस लिखा हुआ है एक ट्रक वाहन आर.जे. 27 जी.बी. 0082, 21 निले रंग के ड्रम, 18 प्लास्टिक के कैन, 10 लीटर और 5 लीटर के 2 मेजरमेन्ट उपकरण, 1 कीप, 1 लाल रंग की डब्लयू एस 20 एक्स ईंजन मोनोसेट पंप ईंजन पाया गया जिसके दो काले रंग के पाईप लगे थे, मौके पर दिनांक 07.10.2023 को अपनी टीम के साथ उक्त पक्के मकान परिसर में पहुंचे तो पक्के मकान के बाहर पुलिस कांस्टेबल श्री गोविन्द राम बेल्ट नम्बर

जिला कलक्टर
सलूम्बर (राज.)

1504 मिले, जिन्होने बताया की उक्त पक्के मकान पर वह सुबह 10 बजे से उपस्थित है। मौके पर परिसर का गहन निरीक्षण में पाया गया कि टैंकर डीए एन 09 एस 9321 में पांच खण्ड बने हुए है कुल 24000 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ भरा हुआ है। और ट्रक आरजे 27 जीबी 0082 में मिट्टी जैसा पदार्थ भरा हुआ है। नीले रंग के 21 ड्रमो को देखने पर पता चला कि 14 ड्रम खाली है तथा 7 ड्रम पत्येक 220 लीटर पेट्रोलियम केमिकल जैसे पदार्थ से भरे हुए है प्लास्टिक के दो पीले रंग के 40–40 लीटर के तथा 20–20 लीटर के प्लास्टिक कैन लीटर पेट्रोलियम केमिकल जैसे पदार्थ से भरे हुए है। साथ ही मौके पर 10 लीटर और 5 लीटर के 2 मेजरमेंन्ट उपकरण पायें गये 1 लाल रंग की डब्ल्यू एस 20 एक्स इंजन मोनोसेट पंप इंजन पाया गया जिसके दो काले रंग के पाईप लगे हुये है।

मौके पर डी.एस.टी टीम सलुम्बर और थानाधिकारी परसाद द्वारा डिटेन कियें गयें तीन व्यक्तियों से पुछताछ में बताया कि 1. श्री मेघराज मीणा पिता देवीलाल मीणा निवासी पीपली बी ने बताया कि उसे भेरू निवासी कनकपुरा मकान का मालिक 300 रू प्रतिदिन की मजदुरी पर रखा हुआ है तथा यहा पेट्रोलियम पदार्थ निकालने और भरनें का काम मेरे द्वारा किया जाता है। 2. कमलेश दास वैष्णव पिता रतन दास वैष्णव निवासी गिगला ने बताया कि वह वाहन आर जे 27 जी. बी. 0082 में डीजल भरवानें आया था और इस वाहन का ड्राईवर हुँ गाडी संजय जैन निवासी उदयपुर मो. न 8003901981 की है। 3.श्री दल्ला राम पिता उदा जी निवासी आवुवा उमरडा ने बताया कि वह ट्रक आर.जे 27 जी. वी. 0082 में हेल्पर के रूप में कार्यरत है। मौके पर टेंकर ड्राईवर मोजुद नहीं था टेंकर में जांच में किसी प्रकार के दस्तावेज नहीं पायें गये। मौके पर यह मात्रा पेट्रोलियम उत्पाद को उत्पादन भण्डारण ओर प्रदाय का रख रखाव आदेश 1999 के तहत आदेश सीमा 2500 लिटर से अधिक को भण्डारित कर पायें जाने पर मौके पर कोई भी प्राधिकार पत्र परमिट लाईसेंस नहीं पाया गया उत्पाद कि पृष्टि बावत मार्क ए अंकित कांच की तीन बोतलों में टेंकर से उत्पाद के 1–1 लिटर मार्क बी अंकित काचं की तीन बोतलों में डम के उत्पाद के 1–1 लिटर मार्क सी अंकित काचं की तीन बोतलों में पीलें रंग की केन से उत्पाद के 1–1 लिटर मार्क डी अंकित कांच की तीन बोतलों में सफेद रंग की केन सें उत्पाद के 1–1 लिटर सेंम्पल लियें गयें। तथा इन 12 बोतलों को सिल किया गया और सेंम्पल कों उत्पाद की जांच हेतु प्रयोगशाला में भेजनें हेतु रखा गया। सेंम्पलों की सभी नमुना सिलिपों पर जांच अधिकारी और स्वतंत्र गवाहों के हस्ताक्षर करायें गयें मौके पर परिसर में पायें गये उपरौक्त सभी सामग्री टेंकर 24000 लिटर, ट्रक, 7 भरें हुऐ ड्रम प्रत्येक 220 लिटर , प्लासिटिक के 2 पिलें रंग के केन 40–40 लिटर भरें हुऐं और सफेद रंग के 20–20 लिटर के दौ भरें हुऐ कैन 10 लीटर और 5 लीटर के 2 मेजरमेन्ट उपकरण, 1 कीप 1 लाल रंग की डब्ल्यू एस 20 एक्स इंजन मोनोसेट पंप इंजन एतिहान मह बाहन पर पेट्रोलियम केमिकल श्रेणी का पदार्थ होने के कारण सुरक्षा की दृष्टि से उक्त पदार्थ को डिटेन किया जा कर सुपुर्दगी पुलिस थाना चेक पोस्ट परसाद थाना जिला सलुम्बर को दिया गया सुपुर्दगी नामा पृथक से तेयार किया गया ।

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट

जिला कलक्टर
सलूम्बर (राज.)

जिसे सामिल–ए–फर्द माना जायें फर्द मोकें पर तेयार की गई पढ़ सुन कर गवाह के समक्ष हस्ताक्षर कराये गये।

उपरोक्त कब्जेराज लिये गए पेट्रोलियम पदार्थ एवं मशीन का विवरण निम्नानुसार है :–

क्र.सं.	पेट्रोलियम पदार्थ का विवरण
1.	24000 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ केमिकल भरा हुआ टेंकर डी.एन 09एस 9321
2.	7 भरें हुऐ ड्रम 220 लीटर कुल 1540 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ केमिकल
3.	प्लासिटिक के 2 पिलें रंग के केन 40–40 लिटर भरें हुऐं पेट्रोलियम पदार्थ केमिकल कुल 80 लिटर
4.	सफेद रंग के 20–20 लिटर के दौ भरें हुऐ कैन 10 लीटर और 5 लीटर के 2 मेजरमेन्ट उपकरण, 1 कीप 1 लाल रंग की डब्ल्यू एस 20 एक्स इंजन मोनोसेट पंप इंजन
5.	ट्रक आरजे 27 जीबी 0082 में मिट्टी जैसा पदार्थ भरा हुआ

मौके पर जब्त उपरोक्त सभी सामाग्री थानाधिकारी परसाद श्री मुकेश खटीक कों सुर्पुदगी में दिये गये एवं सुपुर्दगी नामा पृथक से तैयार किया गया साथ ही पांबद किया गया कि उक्त सामाग्री (पेट्रोलियम पदार्थ) की वो सही से देख–रेख करेगें एवं खुर्द–बुर्द नही करेगे तथा सरकार के मांगने पर आदेशानुसार सही हालत में सुर्पुद करेगे। उपरोक्त समस्त कृत्य में मोटर स्प्रिट और उच्च वेग डिजल (प्रदाय और वितरण का विनियमन और अनाचार निवारण) आदेश 2005 के खण्ड 3 के उपखण्ड 4, 5 एवं 6 तथा विलायक, रेफीनेट और स्लॉप (अर्जन, विक्रय, भण्डारण और ओटोमोबाईल में उपयोग का निवारण) आदेश 2000 के खण्ड 3(1) आदेश का स्पष्ट उल्लंघन किया जाना प्रतीत होता है जो आवश्यक वस्तु 1955 की धारा 3/7 एवं 3/8 के तहत दण्ड़नीय कृत्य है। श्रीमान् से निवेदन है कि जब्त शुदा उक्त सामाग्री (पेट्रोलियम पदार्थ मय वाहन) को राजसात कराने का श्रम करावे एवं चूंकि पेट्रोलियम पदार्थ ज्वलनशील अतिविस्पोटक एवं प्रकृतिया वास्पीकृत तरल पदार्थ है, अतः जब्तशुदा वाहन संख्या DN09S9321 टेंकर मय पेट्रोलियम पदार्थ एक ट्रक वाहन न. आरजे 27 जीबी 0082 एवं ड्रम मय पेट्रोलियम पदार्थ कुल मात्रा 25660 लीटर पेट्रोलिय पदार्थ के यथाशीघ्र अन्तरिम निस्तारण करवाने के आदेश प्रदान करानें का श्रम करावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण एवं पैरोकार सरकार द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया जो शामिल पत्रावली है। अप्रार्थी टैंकर नम्बर DN09S9321 के मालिक श्री केतन अजीत सिंह उपस्थित होकर जवाब पेश किया की टैंकर में लाईट डिजल ऑयल ज्वलनशील पदार्थ होना बताया गया और टैंकर मय लाईट डिजल सुर्पुदगी करने हेतु निवेदन किया गया। अप्रार्थी क्रम संख्या 1 से 3 व ट्रक आरजे 27 जीबी 0082 के मालिक श्री संजय

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट

जिला कलक्टर
सलूम्बर (राज.)

जैन की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री सुखराम डिडेल उपस्थित होकर निवेदन किया कि प्रार्थी ने माननीय आप न्यायालय में जब्तशुदा पदार्थ, टेंकर, ट्रक रॉक फॉस्फेट की जब्ती का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जो कि किसी अधिनियम के तहत किस धारा के अन्तर्गत प्रस्तुत किया, ऐसा अपने प्रार्थना पत्र में कही पर भी नही लिखा जो विधि विरूध होने से निरस्त योग्य है। यह कि जिला रसद अधिकारी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में स्पष्ट लिखा है कि जब्त शुदा पेट्रोलियम पदार्थ केमिकल है जिसे जब्त करना बताया है आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3 के अन्तर्गत आने वाले पदार्थ/वस्तुओं पर आवश्यक वस्तु अधिनियम लागू होता है परन्तु धारा 3 ई.सी एक्ट के प्रावधान जब्तशुदा केमीकल पर लागू नही होने से धारा 6 या 6 ई.सी एक्ट के तहत माननीय जिला कलक्टर साहब को प्रकरण सुनने का विधिक अधिकार नही होता है क्योकि जब्तशुदा पदार्थ केमीकल है। यह कि प्रार्थी द्वारा आप न्यायालय में प्रस्तुत पत्र में मोटर स्प्रीट एण्ड हाई स्पीड डीजल (प्रदाय, वितरण का विनियमन और अनाचार निवारण) आदेश 2005 के खण्ड 3 के उपखण्ड (4)(5) एवं खण्ड (6) की अवहैलना करना लिखा है जबकि उक्त अधिनियम केवल पेट्रोल व डिजल दोनो पदार्थो पर ही लागू होता है जिसका यह अधिनियम बना हुआ है। इसि प्रकार प्रार्थी द्वारा विलायत, रेफिनेट और स्लोप (अर्जन विकय भण्डारण) आदेश 2000 के खण्ड 3(1) या स्पष्ट उल्लघन होना माना हैं जबकि जब्त शुदा पदार्थ जो भैरू लाल के घर से बरामद करना लिखा है वह पदार्थ केमिकल है जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अन्तर्गत नही आता है न ही आवश्यक वस्तु अधिनियम के प्रावधान जब्त शुदा पदार्थ/केमीकल पर लागू होते है। यह कि जिला रसद अधिकारी व प्रवर्तन निरीक्षक स्वयं ने अपने परिवाद में केमिकल होना मानते है तथा विपक्षी भैरूलाल ने बिल के साथ केमीकल को खरीदा गया तथा वक्त घटना भेरूलाल के कब्जे से केमीकल को ही जब्त किया गया, केमिकल आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत नही आता है इसलिए जिला रसद अधिकारी द्वारा की गई सम्पूर्ण कार्यवाही करने का विधिक अधिकार नही होने से प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को निरस्त किया जाकर विपक्षी भैरूलाल का 1600 लीटर केमीकल विपक्षी भैरूलाल को लौटाया जावे। केमीकल के व्यापार के लिए लाईसेन्स की भी आवश्यकता नही है। यह कि जिला रसद अधिकारी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में तीन पक्षकारो को विपक्षी बनाया गया जिसमें मेघराज मीणा जो कि मजदूर व्यक्ति होकर दिनांक 6/10/2023 को भैरूलाल के खेत पर कार्य कर रह था जिसे इस प्रकरण में गलत पक्षकार बनाया गया। विपक्षी संख्या तीन कमलेशदास वैष्णव जो कि ट्रक नम्बर आर.जे 27–जी.बी.–0082 का खलासी है जिसका इस प्रकरण से किसी प्रकार का कोई संबन्ध नही है। इस प्रकरण में ट्रक नम्वर आर.जे 27–जी वी–0082 के मालिक संजय जैन को पक्षकार नही वनाया गया जवकि संजय जैन के स्वामित्व की ट्रक नम्बर आर.जे 27 जी.वी –0082 जिसमें दिनांक 5/10/2023 को झामर कोटडा उदयपुर के आर.एस.एम.एम लिमिटेड सरकारी उपक्रम से 24.33 मिट्रिक टन रॉक

जिला कलक्टर
सलूम्बर (राज.)

फॉस्फेट भरकर जीवन सिंह ड्राईवर लेकर आया था तथा जीवन सिंह ग्राम प्रसाद का मूल निवासी है तथा जीवन सिंह दिनांक 5/10/2023 को ही बिमार हो गया था तथा ट्रक नम्बर आर.जे 27 जी.बी 0082 भी दिनांक 5/10/2023 से गली में खडी थी जिसे दुसरा ड्राईवर दलाराम मीणा लेने के लिए आया था तथा ट्रक के खलासी कमलेश वैष्णव मौके पर ट्रक के अन्दर बैठा था फिर भी जिला रसद अधिकारी ने इस प्रकरण में बिना अधिकार के जब्त कर लिया। ट्रक नम्बर आर.जे 27–जी.बी–0082 में 24.33 मिट्रिक टन रॉक फॉस्फेट भरी हुई थी तथा सरकारी उपक्रम आर.एस.एम.एम लिमिटेड लिमिटेड क अधिन झामर कोटडा खदान से बिल, बिल्टी, ई–वे बिल के साथ उक्त ट्रक दिनांक 5/10/2023 को रवाना हुआ था जिसमें इस प्रकरण से किसी प्रकार का कोई संबंध नही होते हुए भी विधि विरूध ट्रक नम्बर आर. जे. जी.बी.–0082 व उसमें भरे हुए 24.33 मिट्रिक टन रॉक फॉस्फेट को जब्त करने में कानुनी भूल की है इसलिए संजय जैन की ट्रक नम्बर आर.जे 27 जी.बी –0082 व उसमें भरे हुए 24.33 टन रॉक फॉस्फेट को रिलिज कर संजय जैन को सुपुर्द किया जावे। मौके पर भैरूलाल का घर पर 1660 लीटर केमीकल पडा था जो अपने घरेलु उपयोग के लिये खरीदा गया, भेरूलाल द्वारा किसी भी व्यक्ति को एक भी लीटर केमीकल को विक्रय नही किया। प्रार्थी द्वारा भी अपने प्रार्थना पत्र में कही पर भी नही लिखा कि भैरूलाल द्वारा केमीकल को विक्रय किया जा रहा था। केमिकल को रखना अपराध नहीं है जिला रसद अधिकारी को विपक्षी के केमिकल को जब्त करने का अधिकार नहीं है। यह कि वक्त घटना ऐसा कोई तथ्य दस्तावेज, साक्ष्य प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना का मिश्रण कर उसका उपयोग किया जा रहा था। और न ही जब्तशुदा पेट्रोलियम पदार्थ को मिश्रित कर उसका उपयोग ईधन के रूप में किया गया हो। प्रार्थी द्वारा सारे तथ्य मनगढत, मिथ्या लिखे है। यह कि जिला रसद अधिकारी को विधिक रूप से जब्त शुदा केमीकल को जब्त करने का अधिकार नही था साथ ही संजय जैन के मालिकाना हक के ट्रक नम्बर आर.जे 27–जी बी–0082 व उसमें भरा हुआ 24.33 मिट्रिक टन रॉक फॉस्फेट के जब्त करने का अधिकार नही था क्योकि दोनो ही पदार्थ आवश्यक वस्तु अधिनियम की श्रेणी में नही आते है। यह कि राजस्थान पेट्रोलियम एक्ट 1990 को राजस्थान सरकार द्वारा दिनांक 30/07/2021 को सम्पूर्ण उक्त एक्ट को खत्म कर दिया गया इसलिए जिला रसद अधिकारी को पट्रोलियम पदार्थ की कार्यवाही करने का विधिक अधिकार नही है। यह कि विपक्षी भैरूलाल के पास 1660 लीटर केमीकल मिला परन्तु एक भी लीटर भैरूलाल द्वारा किसी भी व्यक्ति को केमीकल बेचा हो ऐसा कोई तथ्य साक्ष्य नही है न ही बेचने की राशि जिला रसद अधिकारी द्वारा जब्त की गई।

आरजे 27 जीबी 0082 उसमे भरे हुए रॉक फॉस्फेट 24.33 मिट्रिक टन को जब्त कर लिया जब कि मौके पर ट्रक जैसी स्थिति में झामर कोटडा से भरूच के लिए रवाना हुआ था वैसी स्थिति में खडा था फिर भी बिना अधिकार के ट्रक रॉक फॉस्फेट आवश्यक वस्तु अधिनियम की

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट

जिला कलक्टर
सलूम्बर (राज.)

परिधि में नही आता है न ही आवश्यक वस्तु अधिनियम ट्रक व रॉक फॉस्फेट पर लागु होता है इस प्रकार जब्त शुदा ट्रक नम्बर आर.जे 27 जीबी 0082 उसमें 24.33 मिट्रिक टन रॉक फॉस्फेट, 1660 लीटर केमिकल व जब्तशुदा संपति सामग्री को रिलीज किया जावे।

पैरोकार सरकार द्वारा प्रकरण में टेंकर नम्बर DN09S9321 व ट्रक आर.जे 27 जीबी 0082 के लिए गये सैंपल की एफ.एस.एल रिपोर्ट फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी उदयपुर में जांच कराई गई जांच रिपोर्ट उपरांत लिखित जवाब अनुसार निवेदन किया कि जिला रसद अधिकारी सलूम्बर को थानाधिकारी परसाद की लिखित तहरीर क्रमांक 7455 दिनांक 6.10.2023 से सूचना प्राप्त हुई कि सुरा सामल पीपली–बी एन.एच 48 पर पक्के मकान पर वाहन टेंकर नम्बर डीएन 09एस9321 जिस पर रिलायंस लिखा हुआ तथा एक ट्रक वाहन संख्या आरजे 27जीबी0082 एवं 21 नीले रंग के ड्रम, 18 प्लास्टिक के केन, 10 लीटर और 5 लीटर के 2 मेजरमेंट उपकरण, 1 कीप,1 लाल रंग की डब्ल्यू एस 20 एक्स इंजन मोनोसेट पंप इंजन जिसके दो काले रंग के पाइप लगे थे। इस पर जिला रसद अधिकारी दिनांक 07.10.2023 को अपनी टीम के साथ मौके पर जांच हेतु पंहुचे। गहन निरीक्षण में मौके पर टेंकर वाहन नम्बर डीएन09एस9321 में पांच खण्डो में कुल 24000 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ भरा हुआ पाया। ट्रक आरजे 27 जीबी0082 में मिट्टी जैसा पदार्थ भरा हुआ पाया गया, मौके पर मौजुद 21 नीले रंग के ड्रमों में से 14 खाली व 7 ड्रमों में पत्येक में 220 लीटर पेट्रोलियम केमिकल जैसार पदार्थ भरा हुआ पाया गया, दो पीले रंग के 40–40 लीटर व सफेद रंग के 20–20 लीटर के दो केन पेट्रोलियम केमिकल पदार्थ भरे हुए थे जिसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 0178/2023 दिनांक 11.10.2023 को जिला रसद अधिकारी राहुल जादौन द्वारा परसाद थाने में दर्ज करवाई व सुपुर्दगी पुलिस थाना चैक पोस्ट परसाद को दी गई।

मौके पर मौजुद पाए गए अप्रार्थी क्र. 01 श्री मेघराज द्वारा बताया की उसके द्वारा वाहनो में पेट्रोलियम पदार्थ भरने का काम किया जाता है। मौके पर मौजुद ट्रक वाहन संख्या आरजे 27 जीबी 0082 के ड्राईवर श्री कमलेश वैष्णव पुत्र श्री रतनलाल ने बताया कि वह ट्रक में डीजल भरवाने आया था जिसे मौका ए–फर्द में लिखित किया गया है। मौके पर मौजुद टेंकर वाहन नम्बर डीएन09एस9321 का ड्राईवर मौजूद होना पाया व किसी प्रकार का कोई कागजात नही पाए गए। मौके पर पाए गए पेट्रोलियम पदार्थ की पुष्टि बाबत् दिनांक 09.10.2023 को चार सेम्पल(ए.बी.सी.डी) राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला, उदयपुर को भेजे गए जिसमें मार्क ए बोतल में टेंकर से मार्क बी बोतल में नीले ड्रम से मार्क सी बोतल में पीले कैन व मार्क डी बोतल में सफेद कैन से लिए। दिनांक 20.12.23 के पत्रांक एफ 32 () रसद / प्रकरण 2023 /44 दिनांक 20.12.2023 अनुसार आरजे 27 जीबी 0082 के ईधन टैंक से सैम्पल मार्क ए बोतल में विधि विज्ञान प्रयोगशाला उदयपुर को परीक्षण के लिए भेजा। उपरोक्त

जिला कलक्टर
सलूम्बर (राज.)

सैम्पलों की एफएसएल रिपोर्ट दिनांक क्रमशः 17.11.2023 व 15.04.2024 प्राप्त हुई जिनका विवरण निम्नानुसार हैः

सेम्पल मार्क–ए (टेंकर से लिया) जिसकी डेन्सिटी 15 डिग्री सेल्सियस पर 0.9005(gm/cm3) व फ्लेश पॉईन्ट 93.5 डिग्री सेल्सियस है, उक्त पेट्रोलियम पदार्थ है पेट्रोलियम एक्ट 1934 के अनुसार पेट्रोलियम क्लास ए/ बी /सी में नही आता है।

सेम्पल मार्क –बी (नीले ड्रम से) जिसकी डेन्सिटी 0. 8215(gm/cm3) 15 डिग्री सेल्सियस पर एवं फ्लेश पॉईन्ट 54 डिग्री सेल्सियस है, उक्त पदार्थ द पेट्रोलियम एक्ट 1934 अनुसार पेट्रोलियम क्लास बी में आता है।

सेम्पल मार्क– सी (पील रंग की कैन से लिया) जिसकी डेन्सिटी 0.7399(gm/cm3) at 15 डिग्री सेल्सियस highly inflammable petroleum है।

सेम्पल मार्क–डी (सॅफेद कैन से लिया गया) जिसकी डेन्सिटी 0. 8802(gm/cm3) at 15 डिग्री सेल्सियस पर व Positive fects for the presence of benzene of petroleum origin अतः उक्त पदार्थ द पेट्रोलियम एक्ट 1934 के अनुसार पेट्रोलियम क्लास–ए में आता है।

दिनांक 16.04.2024 की रिपोर्ट अनुसार सेम्पल मार्क –ए (ट्रक आरजे 27 जीबी 0082 के ईधन टेंक से लिया) जिसकी डेन्सिटी 0. 8680(gm/cm3) at 15 डिग्री सेल्सियस व फ्लेश पॉईन्ट 66 डिग्री सेल्सियस है, did not confirm the requirement of high speed diesel (HSD) as mentioned in IS-1460 in respect to density and distribution characteristics अतः उक्त पदार्थ द पेट्रोलियम एक्ट 1934 के अनुसार पेट्रोलियम क्लास–बी में आता है।

इस प्रकार Motor Sprit & High-Speed Diesel (Regulation Of Supply, Distribution & Prevention Of Malpractices) Order, 2005 के खण्ड 3 के उपखण्ड 4, 5 एवं 6 का स्पष्ट उल्लघन किया जाना प्रतीत होता है जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 एव 3/8 के तहत् दण्डनीय कृत्य है। अतः उपरोक्त पेट्रोलियम मय वाहन एवं अन्य साधन सहित राजसात किया जाना राजहित में होगा।

प्रकरण में उभयपक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। मौका ए फर्द रिपोर्ट अनुसार मौके पर पाए गए अप्रार्थी क्र. 01 श्री मेघराज द्वारा मौका ए –फर्द में बताया गया है की उसके द्वारा वाहनो में पेट्रोलियम पदार्थ भरने का काम किया जाता है और उसे भेरू निवासी कनकपुरा मकान का मालिक 300 रू प्रतिदिन की मजदुरी पर रखा हुआ है तथा यहा पेट्रोलियम पदार्थ निकालने और भरनें का काम उसके द्वारा किया जाता है। व अप्रार्थी संख्या 3. कमलेश दास वैष्णव पिता रतन दास वैष्णव निवासी गिगंला ने मौका ए–फर्द में बताया कि वह वाहन आर जे 27 जी. बी. 0082 में डीजल भरवानें आया था और इस वाहन का ड्राईवर हुँ गाडी संजय जैन निवासी उदयपुर मो. न 8003901981 की है। मौके पर टेंकर वाहन नम्बर

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट

जिला कलक्टर
सलूम्बर (राज.)

डीएन09एस 9321 ड्राईवर मोजुद नहीं था। टेंकर में जांच में किसी प्रकार के दस्तावेज नहीं पायें गये, मौके पर यह मात्रा पेट्रोलियम उत्पाद को उत्पादन भण्डारण और प्रदाय का रख रखाव आदेश 1999 के तहत आदेश सीमा 2500 लिटर से अधिक को भण्डारित कर पायें जाने पर मौके पर कोई भी प्राधिकार पत्र परमिट लाईसेंस नहीं पाया गया।

मौके परिसर में पायें गये उपरोक्त सभी सामग्री टेंकर मय पेट्रोलियम पदार्थ 24000 लिटर, ट्रक मय मिट्टी जैसा पदार्थ, 7 भरें हुऐ ड्रम प्रत्येक 220 लिटर, 14 ड्रम खाली , प्लास्टिक के 2 पिलें रंग के केन 40–40 लिटर भरें हुऐं और सफेद रंग के 20–20 लिटर के दो भरें हुऐ कैन 10 लीटर और 5 लीटर के 2 मेजरमेन्ट उपकरण, 1 कीप 1 लाल रंग की डब्ल्यू एस 20 एक्स इंजन मोनोसेट पंप इंजन पाए गये। जिला रसद अधिकारी सलूम्बर, पुलिस उप अधीक्षक वृत सराडा द्वारा प्रस्तुत विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट व मौके ए–फर्द रिपोर्ट के अनुसार यह स्पष्ट है की Motor Sprit & High-Speed Diesel (Regulation Of Supply, Distribution & Prevention Of Malpractices) Order, 2005 के खण्ड 3 के उपखण्ड 4, 5 एवं 6 का स्पष्ट अवहेलना एवं विलायक रेफिनेट और स्लॉप(अर्जन, विक्रय, भण्डारण और ऑटोमोबाईल में उपयोग का निवारण) आदेश, 2000 के खण्ड 3 के उपखण्ड 2 का स्पष्ट उल्लंघन होकर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के खण्ड 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर मौके पर टैंकर (वाहन नम्बर डीएन09एस 9321), ट्रक (आरजे 27 जीबी 0082) व अन्य सामान से यह प्रतीत होता है की विपक्षीगण द्वारा पेट्रोलियम पदार्थो के रूप में अवैध कारोबार किया जाना पाया जाता है। विपक्षीगण द्वारा मोटर स्प्रिट और उच्च वेग डीजल तथा सरकार द्वारा प्राधिकृत अन्य ईंधन से भिन्न मिलावटी एवं अविनिर्देशगत पेट्रोलियम पदार्थ का विक्रय/ व्यवसाय वाहनों के संचालन हेतु किया गया है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी जरिये जिला रसद अधिकारी सलूम्बर का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। जब्तशुदा प्रकरण अनुसार पेट्रोलियम पदार्थ मय सामान यथाः–24000 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ केमिकल भरा हुआ टेंकर डी.एन 09एस 9321, 7 भरें हुऐ ड्रम 220 लीटर कुल 1540 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ केमिकल, 14 ड्रम खाली, प्लास्टिक के 2 पिलें रंग के केन 40–40 लिटर भरें हुऐं पेट्रोलियम पदार्थ केमिकल कुल 80 लिटर, सफेद रंग के 20–20 लिटर के दो भरें हुऐ कैन 10 लीटर और 5 लीटर के 2 मेजरमेन्ट उपकरण, 1 कीप, 1 लाल रंग की डब्ल्यू एस 20 एक्स इंजन मोनोसेट पंप इंजन, व ट्रक आरजे 27 जीबी 0082 में मिट्टी जैसा पदार्थ भरा हुआ को राजसात (Confiscate) किए जाने के आदेश प्रदान किए जाते है।

जब्त पेट्रोलियम पदार्थ मय सामान के निस्तारण हेतु जिला रसद अधिकारी सलूम्बर को आदेशित किया जाता है कि वह उक्त जब्त सामग्री का नियमानुसार निस्तारण किया जाकर प्राप्त राशि राजकोष में जमा

जिला कलक्टर
सलूम्बर (राज.)

करावे। राजकोष में राशि जमा कर चालान की प्रति न्यायालय में प्रेषित करें। आदेश की पालना किये जाने हेतु जिला रसद अधिकारी सलूम्बर को निर्णय की प्रति प्रेषित की जावे। प्रकरण फैसल शुमार हो। बाद कार्यवाही दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय खुले न्यायालय सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट * सलूम्बर (राज.) *

(जसमीत सिंह संधू)
जिला कलक्टर
सलूम्बर